>

Title: Need to bring the Vigilance Officers of various Government Departments under the purview of the CBI or the proposed Lokpal in the country.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): सभापति महोदय, आज की लोकसभा कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुमति आपने दी, इसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए विभागीय विजिलेंस बना दिए गए हैं, लेकिन इन्हें न कोई अधिकार मिला और न ही कोई संसाधन। इसलिए विभागों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं और उनका पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जांच करने वाले विभाग के अधिकारी होते हैं और उन्हें विभाग के अधिकारियों की जांच करनी होती है। विभाग का बॉस जैसे चाहे, वैसे ही उनकी इंक्वायरी होती है। जिन विजिलेंस अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को उजागर किया और कार्रवाई करने की प्रक्रिया शूरू की तो उनका बॉस द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाता है। केवल स्थानांतरण ही नहीं होता है, उनकी पोस्टिंग सजा के रूप में कर दी जाती है, जिसके कारण विभागों का विजिलेंस बेदम हो गया है।

यह भी देखा गया है कि विभाग के बॉस, हेराफेरी करने वालों की जांच हेराफेरी करने वालों के द्वारा ही करा रहे हैं। केंद्र सरकार के इस खेल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि आखिर सरकार भ्रष्टाचार को कानूनी रूप क्यों नहीं दे देती है, क्यों न हर केस को निपटाने के लिए रिश्वत की राशि तय कर दी जाए? इस टिप्पणी ने केंद्र सरकार की पोल खोल दी है।

"अलविदा हो हिंद से इन्साफ, जन्नत को गए हैं

मखलुस की इमदाद करने तीन बेटे रह गए हैं।

सबसे बड़ा बेटा रिश्वत अली, दूसरा सियासत खान है

तीसरा सिफारिश बेग है जिनकी निराली शान है।"

अतः मैं सदन के माध्यम से, सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि विजिलेंस कार्यों की समीक्षा की जाए और विभाग के विजिलेंस अधिकारियों को सीधे विभाग के अधीन न रख कर उन्हें सीबीआई के अधीन रखा जाए। उन्हें प्रस्तावित लोकपाल के अधीन रखा जाए। इन्हीं शब्दों के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।